



Neutral Citation No. - 2026:AHC:166894

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7790

सन् 2026

जगन्नाथ प्रसाद

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : लवलेश कुमार द्विवेदी, राज नारायण द्विवेदी, शमीमुद्दीन

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 657 सन् 2025 के अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 316(5), 61(2), 238 बीएनएस, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 डी, थाना - कर्वी, जिला - चित्रकूट में आवेदक की ओर से दायर की गई है। इसमें उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक लगभग 87 साल के बुजुर्ग हैं। आरोप है कि आवेदक ने ट्रेजरी अधिकारियों की मिलीभगत से अपने खाते में ज्यादा पैसे लिए और 51,85,542 रुपये का गबन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि

आवेदक बहुत बुजुर्ग हैं और उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह ठीक नहीं है; ट्रेजरी विभाग के अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारियों और अन्य अभियुक्तों ने उनकी इस स्थिति का फायदा उठाया है। आवेदक ने कोई पैसा गबन नहीं किया है। उनका तर्क है कि इसी तरह के प्रकरण में शामिल सह-अभियुक्त फेरन प्रसाद यादव को इस न्यायालय ने **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7735 of 2026** के तहत अग्रिम ज़मानत दी है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क दिया कि सह-अभियुक्त माया, जिसने अपनी बकाया राशि जमा नहीं की थी, की अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 1717 of 2026** में खारिज कर दिया था। हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य को नकार नहीं सके कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है।

6. सह-अभियुक्त फेरन प्रसाद यादव की अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया है। इसी प्रकार, समान परिस्थिति वाली सह-अभियुक्त सरला देवी को इस न्यायालय ने **आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 6986 सन् 2026** के तहत अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया गया है। सह-अभियुक्त माया की अग्रिम ज़मानत की प्रार्थना पत्र खारिज कर दी गई है, उसने न्यायालय के आदेश के अनुसार गबन की गई रकम जमा करने का वादा किया था, लेकिन बाद में वह रकम जमा नहीं की गई। न्यायालय की राय में, आवेदक, जो 87 साल का है और जिसके बारे में कहा गया है कि बुढ़ापे के कारण उसकी मानसिक क्षमता पूरी तरह ठीक नहीं है, उसका प्रकरण सह-अभियुक्त माया के प्रकरण से अलग है।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपरोक्त को देखते हुए, आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यदि आवेदक **जगन्नाथ प्रसाद** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि का अपना व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर, उपर्युक्त मुकदमा अपराध में अग्रिम जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वे इन शर्तों का पालन करें:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

10 अगस्त, 2026

सचिन